प्र.स. 107/24 अन्तर्गत सरकार / सिमरजीतकौर

Continuation Note Sheet

27-9-24

अप्रार्थी सिमरजीत कौर द्वारा जरिए वकील श्री सतविन्द्र सिंह चहल के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रकरण में अगामी तारीख पेशी 15.10.2024 नियम है। अप्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण में आना जवाब पेश कर रही है। अप्रार्थीया अपने उक्त पकरण का निस्तारण करवाना चाहती है। अतः प्रकरण को आज की पेशी में लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। अप्रार्थीया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से जरिए कमांक 1263 दिनांक 23.07.2024 के रिपोर्ट पेश की गई। शामिल पत्रावली रहे।

पैरोकार राज उपस्थित। बहस वकील अप्रार्थी सुनी गई। वकील अप्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थीया द्वारा भूमि में बोई फसल की सुरक्षा हेतु भूमि के चारों तरफ चार दीवारी कर रखी है जो अकृपि कार्य नहीं है। अप्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि को रूपान्तरण करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष अलग से आवेदन पत्र कर रही है। इसलिए अप्रार्थीया को समय दिया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में स्थगन होने के कारण नगर विकास न्यास द्वारा प्रश्नगत भूमि का संपरिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी राज्य सरकार को राजस्व जमा करवा कर संपरिवर्तन करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रार्थी खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु प्रयासरत है। जब तक प्रकरण 177 आर.टी.ए. में 212 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगर विकास न्यास द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृपि कार्य को रोकना है। इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात् तहसीलदार पुनः इस स्थगन प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात् यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः स्थगन प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवा कर आगमी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:58:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिंनाक 27.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned with CamScanner